| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 02/04.11.19

**<u>आदेश</u>**

**<u>विविध वाद संख्या– 26/2018–19</u>**

PNo–29 12.3.19

**<u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>**

**रामचंद्र सिंह वगैरह .................... प्रथम पक्ष**

**<u>बनाम्</u>**

**ईश्वरी सिंह वगैरह ...............................द्वितीय पक्ष**

01.11.2018

यह प्रक्रिया आवेदक 1. रामचंद्र सिंह 2. विनय सिंह दोनो के पिता– स्व0 यदुनंदन सिंह ग्राम– बगैया, पो0– कउवल, थाना– छत्तरपुर, जिला–पलामू ने 1. ईश्वरी सिंह पिता–रामलगन सिंह, 2. सत्येन्द्र सिंह, 3. सुनील सिंह दोनो के पिता– ईश्वरी सिंह, 4. कामेश्वर सिंह पिता– स्व0 रामलगन सिंह, 5. छोटू सिंह पिता– स्व0 लल्लु सिंह सभी ग्राम– बगैया, पो0– कउवल, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, छत्तपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। थाना प्रभारी, छत्तपुर ने अपने डी0 आर0 नं0– 836/18 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा जाँच प्रति वेदन सर्मिपित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये –

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर कार्यवाही टिप्पणी सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की प्रकिया कायम करने का अनुशंसास किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:— मौजा— बगैया , खाता सं0— 48, प्लॉट सं0— 473, रकबा— 1.30 एकड़ चौहद्दी, उतर— खदान, दक्षिण— आवेदक का जमीन, पूरब— नदी, पश्चिम— आवेदक का जमीन एवं प्लॉट सं0— 498, रकबा— 0.28 एकड़ चौहद्दी, उतर— बांध, दक्षिण— कामेश्वर सिंह का जमीन, पूरब— भोला यादव का जमीन, पश्चिम— जंगाली यादव का जमीन के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 कि प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष के सदस्य सं0— 1 एवं 2 आपस में सहोदर भई होते हैं जिनमें सदस्य सं0— 1 रामचंद्र सिंह को प्रकिया के दौरान दिनांक— 21.09.2018 को मत्यु हो चुकी है। वाद भूमि प्रथम पक्ष के के पिता— स्व0 यदुनंदन सिंह एवं चाचा स्व0 रामरक्ष्या सिंह के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार दरभंगा स्टेट के द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार द्वारा प्रथम पक्ष के पिता— स्व0 यदूनंदन सिंह एवं चाचा

| श की कम ख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

स्व0 रामरक्ष्या सिंह को रैयत करार करते हुए मांग पंजी II के पेज नं0– 27/1 पर मांग कायम किया गया तथा इनके नाम से आज तक सरकारी लगान रसीद कटती चली आ रही है। वाद भूमि पर प्रथम पक्ष के पिता एवं चाचा का उनके जीवन काल तक शांतिपूर्ण दखल– कब्जा रहा तथा उनके मृत्यु के पश्चात प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल– कब्जा चला आ रहा है। रामरक्ष्या सिंह नावल्द मर गये। प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण रकबा के भूमि का स्वामित्व हैं। द्वितीय पक्ष के लोग वाद भूमि को बलपूर्वक हथियाना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि यह प्रकिया मौजा– बगैया, खाता सं0– 48, प्लॉट सं0– 473, रकबा– 1.30 एकड़ एवं प्लॉट सं0– 498, रकबा– 0.28 एकड़ भूमि पर यह प्रकिया प्रारम्भ किया गया है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पिछले सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज था जो द्वितीय पक्ष के रैयतीय भूमि से मिला हुआ था तथा उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के वूर्वजों का दखल– कब्जा था जिसके कारण भूतपूर्व जमीन्दार ने वाद भूमि को द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से बंदोबस्त किये थे। वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के पूर्वजों का जोत– कोड़ एवं दखल– कब्जा रहा तथा उनके बाद द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा चला आ रहा

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश कार्रवा टिप्पण सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |

है। हक दखल– कब्जा के आधार पर हाल सर्वे का फाईनल खतियान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत इस वाद भूमि का खतियान प्रकाशित किया गया है। वाद भूमि से प्रथम पक्ष का कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को बलपूर्वक बेदखल करना चाहते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोप्रांत ज्ञात होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। अतः इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

1.11.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

1.11.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 14:00:51 +05:30
Location: 192.168.1.13